



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-13.09.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैण्ट में पंजीकृत लूट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को हुए जेल में बितायी गई अवधि (10 साल 319 दिन) का दंड।

थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-880/13 धारा 394/427 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण अजय यादव पुत्र रामजी यादव निवासी चाँदपुर पोल्ट्री फार्म थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-12.09.2024 को माननीय न्यायालय ACJM-3 वाराणसी द्वारा अन्तर्गत धारा 394/427 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गई अवधि (10 साल 319 दिन) से दंडित किया गया। अभियुक्त केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध है।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।